

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोवर (आर०ए०ए०) )

वाद सं० : 474 सन 2018

अनवान :-

1. अनिल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजरव नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री भागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 21/7/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 131/121 की कुल 1.2650 हैक में से 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 132/122 की कुल 1.2650 हैक में से 1/8 हिस्सा, रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 114/101 की कुल 2.500 हैक में से 1/2 हिस्सा, तथा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 141/121 की कुल 1.1650 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजरव रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मुखराम पुत्र श्योलाल के नाम से राजरव रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मुखराम पुत्र श्योलाल के देहान्त होने पर वाद विरास्तान से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुखराम पुत्र श्योलाल के देहान्त होने के वाद विरास्तान से राजरव रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजरव रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजरव रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजरव रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपरिथत आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मुखराम पुत्र श्योलाल के देहान्त होने पर विरास्तान से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजरव रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल गिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शागिल गिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिसे पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 131/121 की कुल 1.2650 हैक में से 1/2 हिस्सा , खाता संख्या 132/122 की कुल 1.2650 हैक में से 1/8 हिस्सा , रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 114/101 की कुल 2.500 हैक में से 1/2 हिस्सा , तथा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 141/121 की कुल 1.1650 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मुखराम पुत्र श्योलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मुखराम पुत्र श्योलाल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुखराम पुत्र श्योलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे बाहरगी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 131/121 की कुल 1.2650 हैक में से 1/2 हिस्सा , खाता संख्या 132/122 की कुल 1.2650 हैक में से 1/8 हिस्सा , रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 114/101 की कुल 2.500 हैक में से 1/2 हिस्सा , तथा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 141/121 की कुल 1.1650 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

पर्या खतौनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि मुखराम पुत्र श्योलाल के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मुखराम पुत्र श्योलाल के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुखराम पुत्र श्योलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के हकदार है।


वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकवाल भी पेश किया जा चुका है जो तर्दीक किया जाकर शागिल गिसल किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी  
नाहर

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 जेएसएन के खाता संख्या 131/121 की 1.2650 हैक् व खाता संख्या 132/122 की 1.2650 हैक् दोनों खातों में रामरवरूप का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 114/101 तथा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 141/121 की भूमि रामरवरूप के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनगुवत राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल गिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीव तकगील जाब्दा दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/7/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी (कार्य)  
उपखण्ड अधिकारी  
नाहर (दुर्गा नगढ़)  
नाहर

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवाणी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. अनिल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 474 सन 2018 निर्णय दिनांक-21/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 जेएसएन के खाता संख्या 131/121 की 1.2650 हैक् व खाता संख्या 132/122 की 1.2650 हैक् दोनों खातों में रामस्वरूप का नाम कलगजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 114/101 तथा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 141/121 की भूमि रामस्वरूप के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर ( हनुमानगढ )